

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 498/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय- 414-417, हवा महल रोड, सुभाष चौक, जयपुर।

प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स रामावतार सत्यप्रकाश जरिये प्रोपरराईटर श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल,
पता :- सी-23, सूरजपोल, अनाज मण्डी, जयपुर।
2. श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रामजी लाल खण्डेलवाल,
3. श्रीमती सरोज खण्डेलवाल पत्नी श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल,
पता :- बी-4, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर।

अप्राथीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनीत शर्मा, अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक: 13.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 11.12.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल प्रोपरराईटर मैसर्स रामावतार सत्यप्रकाश के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान संख्या ग-23, सूरजपोल अनाज मण्डी, सूरजपोल गेट के पास, जयपुर क्षेत्रफल 278.81 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 01,40,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 30.09.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी बैंक ने अप्राथीगणों को कुल राशि 01,40,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राथीगण ने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि एवं ब्याज कुल राशि 01,51,15,742.20/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01/09/2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र रदीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल प्रोपराईटर मैसर्स रामदास सत्यप्रकाश के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान संख्या ग-23, सूरजपोल अनाऊ मण्डी, सूरजपोल गेट के पास, जयपुर क्षेत्रफल 278.81 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं घालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



6. आदेश आज दिनांक 13.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

35
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर